भी नियुक्ति की जाती है तो भी उससे परे नहीं होगी । प्रत्यर्थी सं० 9 और 10 का चयन चयन समितियों द्वारा उन रिक्तियों के लिए किया गया है, जो भर्ती नियमों के नियम 9 के अधीन विहित सीमा के भीतर हैं ।"

17. इसलिए हम अपीलें मंजूर करते हैं तथा तारीख 19 जुलाई, 1991 के अधिकरण के आक्षेपित निर्णय को अपास्त करते हैं और केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के समक्ष सिविल सेवा अधिकारियों के आवेदन खारिज करते हैं । खर्चों के लिए कोई आदेश नहीं होगा ।

अपीलें मंजूर की गईं ।

ला०/ब्रह्म

[1994] 1 उम० नि० प० 793

मणिराम

बनाम

राजस्थान राज्य

31 मार्च, 1993

न्यायमूर्ति (डा०) ए० एस० आनन्द और एन० पी० सिंह

साक्ष्य अधिनियम, 1872—धारा 3 सपठित धारा 45—विशेषज्ञों की राय—चिकित्सीय साक्ष्य राय का साक्ष्य है और निश्चायक नहीं है; अतः विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उस पर अभिभावी हो सकता है और उसके आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है ।

अपीलार्थी और उसके भाई ने घटना के लगभग 20-22 दिन पूर्व मृतक के खेत से संबद्ध बाड़ को हटाया था और अपीलार्थी तथा उसके भाई की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप दोनों भाइयों का मृतक से झगड़ा हो गया जिससे दोनों पक्षकारों के बीच अनबन हो गई । उस दुखद घटना वाले दिन अर्थात् तारीख 22-6-1972 को मृतक अपने खेत पर गया था । उसकी पत्नी अभि० सा० 1 और उसका पुत्र अभि० सा० 2 कुछ समय पश्चात् मृतक के लिए भोजन लेकर खेत पर गए थे । मृतक द्वारा भोजन कर लिए जाने के पश्चात् वे तीनों दोपहर लगभग 12.30 बजे अपने खेत से अपने गांव की ओर लौट रहे थे । मृतक, मृतक की पत्नी और अभि० सा० 2 अभियोजन साक्षियों से लगभग एक कीला आगे था । जब मृतक गांव की जलसरणी (जल का रास्ता) के समीप पहुंचा, अपीलार्थी गांव की ओर से आता हुआ दिखाई दिया । उसने मृतक को ललकारा और अपनी पिस्तौल से उस पर

तुरन्त गोली चला दी। उसके भाई ने, जिसके स्वयं के पास भी बंदूक थी, अपीलार्थी को मृतक को मारने के लिए प्रेरित किया जिससे कि दुश्मन बच न पाए। तदुपरि अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से मृतक पर तीन गोलियां चलाईं। मृतक नीचे गिर पड़ा और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कुछ दूरी पर, अभियोजन साक्षी 4 उपस्थित था और उसने भी उस घटना को देखा था। मृतक की पत्नी अभि० सा० 1 गणपतराम के साथ टिबी पुलिस थाने गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी०/1 अपराह्न लगभग 3.00 बजे दाखिल कराई। तद्नुसार मामला दर्ज (रजिस्टर) कर लिया गया था और अन्वेषण अधिकारी, अभि० सा० 13 घटनास्थल पर गया। उसने स्थल का खाका (रूपरेखा), निरीक्षण टिप्पण तैयार किया और घटनास्थल से खाली कारतूसों को बरामद करने का कार्य ज्ञापन प्रदर्श पी/6 में दर्ज किया। मृतक का शव शव-परीक्षण के लिए भेज दिया गया। शव-परीक्षण डा० के० सी० मित्तल, अभि० सा० 9 द्वारा किया गया। शव-परीक्षा की रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी और उसके भाई को विचारण के लिए भेजा गया। अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था तथापि अपीलार्थी के भाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था। अपीलार्थी और उसके भाई दोनों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए भी आरोपित किया गया था। विचारण के पश्चात्, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह पाया कि अपीलार्थी के भाई के विरुद्ध बिल्कुल कोई मामला नहीं बनता था और यह कि अभियोजन पक्ष भी अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे कोई मामला साबित नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप, अपीलार्थी और अपीलार्थी का भाई दोनों को विचारण न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। राज्य द्वारा, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील फाइल किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को भागतः मंजूर कर लिया और यद्यपि इसने अपीलार्थी की दोषमुक्ति (के आदेश) को अपास्त कर दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया। तथापि अपीलार्थी के भाई की दोषमुक्ति के आदेश को बनाए रखा। यद्यपि राज्य द्वारा अपीलार्थी के भाई की दोषमुक्ति को प्रश्नगत नहीं किया गया है तथापि अपीलार्थी ने, जैसी कि पहले अपेक्षा की गई है, यह अपील फाइल की है। अपील खारिज करते हुए,

अभिनिर्धारित—पाचन क्रिया व्यक्ति की पाचन शक्ति पर निर्भर करती है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति की पाचन क्रिया में अंतर होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन किस प्रकार का है और कितनी मात्रा में लिया गया है। पाचन अवधि भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन के लिए भिन्न-भिन्न होती है। अभियोजन साक्षी सं० 1 और अभियोजन साक्षी सं० 2 के साक्ष्य का चिकित्सीय साक्ष्य द्वारा किसी भी प्रकार विखंडन नहीं होता और वस्तुतः मृतक के पेट में अल्पठोस अपचित भोजन की उपस्थिति से दोनों साक्षियों के परिसाक्ष्य का समर्थन होता है कि वे बाद में मृतक के लिए भोजन लेकर खेत पर गए थे और उन्होंने वास्तव में उसे भोजन परोसा था। इससे मृतक के साथ खेत में उनकी उपस्थिति का विश्वास होता है। विस्तारपूर्वक की गई प्रतिपरीक्षा के बावजूद इन दोनों साक्षियों में से किसी की

भी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कुछ प्रकट नहीं हुआ जिससे उनके परिसाक्ष्य की सत्यता प्रभावित होती हो। अभियोजन साक्षी सं० 1, ने घटनास्थल से लगभग 15 मील की दूरी पर अपराह्न 3 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दाखिल कराई थी और बहुत होशियारी से दाखिल कराई गई थी और घटना के पूर्ण वृतांत का उस रिपोर्ट में वर्णन किया गया है। दोनों ही साक्षियों के परिसाक्ष्य से न्यायालय अत्यधिक प्रभावित हुआ है और वे न्यायालय को सत्यनिष्ठ साक्षी प्रतीत होते हैं और वस्तुस्थिति के सामान्य अनुक्रम में मृतक के निकट नातेदार होने के कारण वे व्यक्ति ही अंतिम व्यक्ति होंगे जो वास्तविक अपराधियों को बचाएंगे और अपीलार्थियों को झूठे तौर पर फंसाएंगे। उनके परिसाक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से और प्राक्षेपिकी विज्ञानी अभि० सा० सं० 1 के परिसाक्ष्य से बहुत अधिक पुष्टि होती है। (पैरा 6)

अभियोजन साक्षी सं० 9 और अभियोजन साक्षी सं० 1 और अभियोजन साक्षी सं० 2 प्रत्यक्षदर्शी-साक्षियों के परिसाक्ष्य के साथ पठित प्राक्षेपिकी विज्ञानी अभियोजन साक्षी सं० 11 के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि अपीलार्थी ने अपनी अनुज्ञप्तिप्राप्त पिस्तौल से मृतक पर गोली चलाई थी और यह कि मृतक की मृत्यु उसे पिस्तौल की गोली से पहुंची चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। यह न्यायायय उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायमूर्ति के इस मत से सहमत हैं कि साक्ष्य में किसी तरह की ऐसी कोई संदेहजनक बातें नहीं हैं जिनसे अभियोजन पक्ष के इस कथन के प्रति कोई संदेह उत्पन्न होता हो कि मृतक पर गोली अपीलार्थी की पिस्तौल से चलाई गई थी और यह कि उसकी मृत्यु उन चोटों के परिणाम-स्वरूप हुई थी। (पैरा 8)

अभियोजन पक्ष ने यह मामला अपीलार्थी के विरुद्ध किसी युक्तियुक्त संदेह के परे सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है और चूंकि विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति का आदेश पूर्णतया गलत आधारों पर पारित किया था अतः उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करके और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किए गए अपराध और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन किए गए अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा कर ठीक ही किया है। उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश और क्रमशः आजीवन कारावास और दो वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश सुआधारित है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। (पैरा 9)

दांडिक अपीली अधिकारिता : 1985 की दांडिक अपील सं० 724.

राजस्थान उच्च न्यायालय में की खंड न्यायपीठ की 1974 की दांडिक अपील सं० 494 में राजस्थान उच्च न्यायालय के तारीख 21-8-1985 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील।

अपीलार्थी की ओर से श्री महाबीर सिंह

प्रत्यर्थी की ओर से श्री अरुणेश्वर गुप्ता

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति डा० ए० एस० आनंद ने दिया।

न्या० आनन्द—उच्चतम न्यायालय (दांडिक अपीली अधिकारिता विस्तारण) अधिनियम, 1970 के अधीन यह अपील राजस्थान उच्च न्यायालय के 1974 की दांडिक अपील सं० 494 में तारीख 21-8-1985 के उस निर्णय और आदेश के विरुद्ध की गई है जिसके द्वारा अपर सेशन न्यायाधीश, गंगानगर द्वारा तारीख 13-2-1974 के निर्णय और आदेश द्वारा अभिलिखित अपीलार्थी की दोषमुक्ति के आदेश को उलटते हुए उसे (अपीलार्थी को) भारतीय दंड़ संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया गया था और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया गया था।

2. अभियोजन पक्ष के पक्षकथन के अनुसार, अपीलार्थी मणिराम और उसके भाई हरिराम ने मृतक हजूर सिंह के खेत से, उस घटना के लगभग 20-22 दिन पूर्व, जो कि तारीख 22-6-1972 को दोपहर लगभग 12.30 बजे घटित हुई थी, बाड़ को हटाया था और अपीलार्थी तथा उसके भाई की इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप दोनों भाइयों का हजूर सिंह से झगड़ा हो गया जिससे दोनों पक्षकारों के बीच अनबन हो गई। उस दुखद घटना वाले दिन अर्थात् तारीख 22-6-1972 को मृतक हजूर सिंह अपने खेत पर गया था। उसकी पत्नी सुरजीत कौर अभियोजन साक्षी सं० 1 और उसका पुत्र जसकरन अभियोजन साक्षी सं० 2 कुछ समय पश्चात् हजूर सिंह के लिए भोजन लेकर खेत पर गए थे। हजूर सिंह द्वारा भोजन कर लिए जाने के पश्चात् वे तीनों दोपहर लगभग 12.30 बजे अपने खेत से अपने गांव की ओर लौट रहे थे। हजूर सिंह, सुरजीत कौर और जसकरन अभियोजन साक्षियों से लगभग एक कीला आगे था। जब हजूर सिंह गांव की जलसरणी (जल का रास्ता) के समीप पहुंचा, अपीलार्थी मणिराम गांव की ओर से आता हुआ दिखाई दिया। उसने हजूर सिंह को ललकारा और अपनी पिस्तौल से उस पर तुरन्त गोली चला दी। उसके भाई हरि राम ने जिसके स्वयं के पास भी बंदूक थी, अपीलार्थी मणिराम को हजूर सिंह को मारने के लिए प्रेरित किया जिससे कि दुश्मन बच न पाए। तदुपरि मणिराम ने अपनी पिस्तौल से हजूर सिंह पर तीन और गोलियां चलाईं। हजूर सिंह नीचे गिर पड़ा और उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। कुछ दूरी पर, सुखराम, अभियोजन साक्षी सं० 4, उपस्थित था और उसने भी इस घटना को देखा था। सुरजीत कौर, अभियोजन साक्षी सं० 1, गर्णपत राम के साथ टिबी पुलिस थाने गई और प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श पी/1 अपराह्न लगभग 3.00 बजे दाखिल कराई। तदनुसार मामला दर्ज (रजिस्टर) कर लिया गया था और अन्वेषण अधिकारी, निसार अहमद, अभियोजन साक्षी सं० 13, घटनास्थल पर गया। उसने स्थल का खाका (रूपरेखा), निरीक्षण टिप्पण तैयार किया और घटना स्थल से खाली कारतूसों को बरामद करने का कार्य ज्ञापन प्रदर्श पी/6 में दर्ज किया। मृतक का शव शव-परीक्षण के लिए भेज दिया गया। शव-परीक्षण डा० के० सी० मित्तल, अभियोजन साक्षी सं० 9, द्वारा किया गया। शव-परीक्षा की रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी। मृतक हजूर सिंह के मृत शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं—

> (i) अंतर्वर्ती आंतों सहित अंडाकार आकृति में बंदूक की गोली का घाव, अधःपर्शुक स्थान के मध्य-दक्षिण में 3/4″ × 1/2″ आकार में रक्तस्राव, जांच करने पर उर्ध्वगामी और पश्चगामी घाव पाया गया है। घाव के ऊपर कमीज फटी हुई है।

(ii) वक्ष के नीचे और बाईं ओर मध्यकक्ष की ओर 1-3/4" आकार का बंदूक की गोली का घाव। कोर अंतर्वर्ती हैं। जांच करने पर यह पता चला कि घाव नीचे से लेकर पश्चतः सतत है। कमज फटी हुई है।

(iii) अंतर्वर्ती उपान्तों सहित बंदूक की गोली का घाव। बाईं भुजा के निचले सिरे के बाह्य मध्यवर्ती सिरे पर 3/4" × 1/2" आकार का घाव। थोड़ा रक्तस्राव हो रहा है। अस्थि से होकर उर्ध्वगामी और पश्चगामी घाव का निशान पड़ा हुआ है। घाव के ऊपर कमीज फटी हुई है।

(iv) मुड़े हुए, कटे-फटे उपान्तों सहित 1-1/4" × 3/4" के आकार का बंदूक की गोली का घाव और बाईं भुजा के उर्ध्व पंचमांग के पश्चगामी-पार्श्वीय की ओर अत्यधिक रक्तस्राव रहा है। घाव के ऊपर कमीज फटी हुई है।

(v) अतः अंसफलक भाग की दाईं ओर 1" × 1/4" × 3/4" आकार का बंदूक की गोली का मुड़े और कटे हुए उपान्तों सहित वृत्ताकार घाव है और उससे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है।

(vi) मध्य-पीठ में बाईं ओर बंदूक की गोली का कटे और मुड़े हुए उपांतों सहित 1-1/2" × 1" आकार का घाव और उससे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा है।

डाक्टर के अनुसार मृत्यु बंदूक की गोली लगने से आई चोटों के परिणामस्वरूप प्राणधारी अंगों जैसे यकृत, फेफड़े और वृहत् रक्त वाहिकाओं के फटने के कारण हुई थी जिनसे भारी रक्तस्राव और प्रघात कारित हुआ था, और ये चोटें मृत्यु कारित करने की प्रकृति के साधारण अनुक्रम में पर्याप्त थीं। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात् अपीलार्थी और उसके भाई हरि राम को विचारण के लिए भेजा गया। यद्यपि अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था तथापि हरि राम को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/114 के अधीन अपराध के लिए आरोपित किया गया था। अपीलार्थी और हरि राम दोनों को आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए भी आरोपित किया गया था। विचारण के पश्चात्, विद्वान् सेशन न्यायाधीश ने यह पाया कि हरिराम के विरुद्ध बिल्कुल कोई मामला नहीं बनता था और यह कि अभियोजन पक्ष भी अपीलार्थी के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे कोई मामला साबित नहीं कर पाया। परिणामस्वरूप, हरि राम और अपीलार्थी दोनों को विचारण न्यायालय द्वारा सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया था। राज्य द्वारा, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषमुक्ति के निर्णय और आदेश के विरुद्ध अपील फाइल किए जाने पर, उच्च न्यायालय ने राज्य की अपील को भागतः मंजूर कर लिया और यद्यपि इसने अपीलार्थी की दोषमुक्ति (के आदेश) को अपास्त कर दिया और उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए सिद्धदोष ठहराया और उसे आजीवन कारावास भोगने का दंडादेश दिया। तथापि हरि राम की दोषमुक्ति (के आदेश) को बनाए रखा, यद्यपि राज्य द्वारा हरि राम की दोषमुक्ति को प्रश्नगत नहीं किया गया है तथापि अपीलार्थी ने, जैसा कि पहले अवेक्षा की गई है, यह अपील फाइल की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् काउंसेल श्री महाबीर सिंह ने यह दलील दी है कि विचारण न्यायालय के निर्णय को न तो अनुचित कहा जा सकता है और न ही उसे अयुक्तियुक्त कहा जा सकता है तथा ऐसे कोई सारवान् और बाध्यकर कारण भी नहीं है जिनके कारण दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त किए जाने को न्यायोचित ठहराया जा सके अतः उच्च न्यायालय को दोषमुक्ति के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि मृतक के पेट (आमाशय) में अपचित भोजन की उपस्थिति अभियोजन पक्ष के पक्षकथन को मिथ्या साबित करती है और यह दलील दी कि विचारण न्यायालय ने यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया था कि हजूर सिंह, उसकी पत्नी सुरजीत कौर अभियोजन साक्षी सं० 1 और उसके पुत्र जसकरन अभियोजन साक्षी सं० 2 द्वारा बताए गए समय पर अपना भोजन नहीं कर सकता था और न ही अपराह्न 12.30 बजे उसकी हत्या की गई हो सकती थी, जैसा कि आरोप लगाया गया है। विद्वान् काउंसेल ने यह भी दलील दी कि खाली कारतूसों को प्राक्षेपिकी विज्ञानी को भेजने में हुए अत्यधिक विलंब से प्रकट होता है कि इससे उस संभावना को नहीं नकारा जा सकता कि अन्वेषक ने उन्हें (खाली कारतूसों को) बदल दिया हो। अतः उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सिद्धदोष ठहराने की कार्रवाई को न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता।

4. राजस्थान राज्य की ओर से हाजिर होने वाले विद्वान् काउंसेल श्री अरुणेश्वर गुप्ता ने उत्तर देते हुए यह दलील दी कि चूंकि यह अपील उच्चतम न्यायालय (दांडिक अपीली अधिकारिता का विस्तारण) अधिनियम, 1970 की धारा 2 के अधीन की गई अपील थी अतः यह न्यायालय अपीलार्थी की दोषिता का स्वयं या अन्यथा अवधारण करने के साक्ष्य का मूल्यांकन कर सकता था। विद्वान् काउंसेल ने यह कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अनुमानों और अटकलबाजियों पर आधारित थे और उच्च न्यायालय ने दोषमुक्ति के आदेश को उलट कर पूर्णतया न्यायोचित कार्य किया था। विद्वान् काउंसेल ने इस बात पर बल दिया कि अभियोजन साक्षी सं० 1, सुरजीत कौर और अभियोजन साक्षी सं० 2, जसकरन, के साक्ष्य से निश्चायक रूप से यह साबित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अपराध उसकी पिस्तौल से किया गया था और उनके परिसाक्ष्य की न केवल डा० के० सी० मित्तल-अभियोजन साक्षी सं० 9-के कथन से पर्याप्त संपुष्टि होती है बल्कि प्राक्षेपिकी विज्ञानी श्री जे० के० प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं० 9 के साक्ष्य से भी संपुष्टि होती है। श्री प्रसाद की यह राय थी कि ये चार खाली कारतूस अपीलार्थी की अनुज्ञप्ति प्राप्त पिस्तौल से चलाए गए थे और किसी अन्य शस्त्र से नहीं चलाए जा सकते थे। अपचित भोजन की उपस्थिति के बारे में दी गई दलील का उत्तर देते हुए विद्वान् काउंसेल ने यह दलील दी कि चूंकि वे ग्रामवासी देहाती हैं अतः अभियोजन साक्षी सं० 1 और अभियोजन साक्षी सं० 2 द्वारा, अपने अभिसाक्ष्यों के दौरान, उस निश्चित समय के बारे में, जब मृतक ने अपना भोजन लिया हो सकता है, बताए गए समय को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता अतः यह नहीं कहा जा सकता कि चिकित्सा संबंधी साक्ष्य से किसी भी प्रकार अभियोजन पक्ष का पक्षकथन मिथ्या साबित होता है।

5. हमने न्यायालय में दी गई दलीलों पर ध्यानपूर्वक विचार किया है और पक्षकारों के विद्वान् काउंसेल की सहायता से निचले न्यायालयों के निर्णयों की और मामले के तात्विक साक्ष्य की भी समीक्षा की है।

6. हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि अभियोजन साक्षी सं० 1 सुरजीत कौर और अभियोजन साक्षी सं० 2 जसकरन के साक्ष्य पर विचारण न्यायालय द्वारा सही और समुचित पूर्वेक्षिक रूप में अवलोकन और विचार नहीं किया गया तथा कतिपय गौण विसंगतियों पर असम्यक् और अनपेक्षित बल दिया गया। दोनों साक्षियों, अभियोजन साक्षी सं० 1 और अभियोजन साक्षी सं० 2 अर्थात् मृतक की विधवा और पुत्र के साक्ष्यों का हमने जो निष्पक्ष मूल्यांकन किया है उससे यह प्रकट होता है कि उनके बयान न केवल हमलावरों के बारे में बल्कि हमले की रीति के बारे में भी संगत हैं जैसी कि हमने इस निर्णय के पूर्ववर्ती भाग में अवेक्षा की है। दोनों ही साक्षियों ने घटना का सुस्पष्ट विवरण दिया है। अभियोजन साक्षी सं० 1, सुरजीत कौर, के इस कथन को, कि हजूर सिंह ने अपना भोजन पूर्वाह्न लगभग 10.30 बजे लिया था और वह घटना मध्याह्न में लगभग 12.00-12.30 बजे घटित हुई थी, इस प्रकार नहीं लिया जा सकता कि उसका चिकित्सा-साक्ष्य द्वारा खंडन किया गया है। वस्तुतः शव-परीक्षण जांच में, डा० के० सी० मित्तल, अभियोजन साक्षी सं० 9, ने मृतक के अमाशय में अल्पठोस अपचित भोजन पाया था। डाक्टर का यह मत था कि पाचन क्रिया 1 या 1½ घंटे में प्रारंभ होती है। इस परिसाक्ष्य से, प्रतिपक्ष ने यह निष्कर्ष निकालने का प्रयास किया कि यदि वह घटना मध्याह्न 12.20 बजे घटित हुई थी तो मृतक ने अपना भोजन पूर्वाह्न 11.00 बजे लिया होगा क्योंकि मृतक के पेट में अल्पठोस अपचित भोजन पाया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा मामले के इस पहलू पर जिस बात का बल दिया गया है वह हमारी राय में न केवल इस कारण मिथ्या उपधारणा पर आधारित है कि चिकित्सीय साक्ष्य केवल राय पर आधारित साक्ष्य है और विनिश्चायक नहीं है बल्कि इस कारण भी कि जब डा० के० सी० मित्तल, अभियोजन साक्षी सं० 9, ने यह कथन किया कि पाचन क्रिया 1 या 1-1/2 घंटे के भीतर आरम्भ होती है तब उसने यह स्पष्ट नहीं किया था कि मृतक के पेट में अपचित भोजन कितनी मात्रा में था। पाचन क्रिया व्यष्टि की पाचन शक्ति पर निर्भर करती है और एक व्यष्टि से दूसरे व्यष्टि की पाचन क्रिया में अंतर होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि भोजन किस प्रकार का और कितनी मात्रा में लिया गया है। पाचन अवधि भिन्न-भिन्न प्रकार के भोजन के लिए भिन्न-भिन्न होती है। कुछ खाद्य वस्तुओं के, जैसे बकरे का मांस, मुर्गे का मांस आदि निरामिष शाकाहारी भोजन की तुलना में, पचने में अधिक समय लेता है। मृतक की पत्नी से ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था कि उसके पति को क्या भोजन परोसा गया था और मृतक ने कितनी मात्रा में भोजन लिया था। इसके अतिरिक्त, साक्षियों द्वारा इस बारे में, बताया गया समय भी कि मृतक ने भोजन कब लिया था, केवल अनुमानित समय था क्योंकि अभियोजन साक्षी सं० 1 को यह भी संकेत तक नहीं किया गया था कि उसके पास कलाई-घड़ी थी और उसने वास्तव में वह समय देखा था जब उसके पति ने अपना भोजन लिया था। ऐसी अनिश्चित बातों का अत्यधिक अवलंब लेना वास्तविकता के विरुद्ध है और अभियोजन साक्षी सं० 1 के अन्यथा विश्वसनीय परिसाक्ष्य को अविश्वसनीय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारी राय में, अभियोजन साक्षी सं० 1 और अभियोजन साक्षी सं० 2 के साक्ष्य का चिकित्सीय-साक्ष्य द्वारा किसी भी प्रकार विखंडन नहीं होता और वस्तुतः, (मृतक के) पेट में अल्पठोस अपचित भोजन की उपस्थिति से दोनों साक्षियों के परिसाक्ष्य का समर्थन होता है कि वे बाद में मृतक के लिए भोजन लेकर खेत पर गए थे और उन्होंने वास्तव में उसे भोजन परोसा था। इससे मृतक के साथ खेत में

उनकी उपस्थिति का विश्वास होता है। विस्तारपूर्वक की गई प्रतिपरीक्षा के बावजूद इन दोनों साक्षियों में से किसी की भी प्रतिपरीक्षा से ऐसा कुछ प्रकट नहीं हुआ जिससे उनके परिसाक्ष्य की सत्यता प्रभावित होती हो। अभियोजन साक्षी सं० 1 ने, घटनास्थल से लगभग 15 मील की दूरी पर अपराह्न 3.00 बजे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट दाखिल कराई थी और बहुत होशियारी से दाखिल कराई गई थी और घटना के पूर्ण वृत्तांत का उस रिपोर्ट में वर्णन किया गया है। दोनों ही साक्षियों के परिसाक्ष्य से हम अत्यधिक प्रभावित हुए हैं और वे हमें सत्यनिष्ठ साक्षी प्रतीत हुए और वस्तुस्थिति के सामान्य अनुक्रम में मृतक के निकट नातेदार होने के कारण वे व्यक्ति ही अंतिम व्यक्ति होंगे जो वास्तविक अपराधियों को बचाएंगे और अपीलार्थियों को झूठे तौर पर फंसाएंगे। उनके परिसाक्ष्य की चिकित्सीय साक्ष्य से और प्राक्षेपिकी विज्ञानी श्री जी० आर० प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं० 11 के परिसाक्ष्य से बहुत अधिक पुष्टि होती है।

7. जैसी कि पहले अवेक्षा की गई है, डा० मित्तल, अभियोजन साक्षी सं० 9, ने मृतक के शरीर पर छह चोटें पाईं और उनकी यह राय थी कि वे चोटें प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थीं। घटना के ठीक पश्चात् दाखिल की गई प्रथम इत्तिला रिपोर्ट के प्रदर्श पी 1 में अभियोजन साक्षी सं० 1, सुरजीत कौर, ने यह कथन किया था कि अपीलार्थी मणिराम ने उसके पति पर पहली गोली चलाने के पश्चात् 3-4 गोलियां चलाईं थीं। लेकिन विचारण के दौरान, वह यह ठीक तौर से नहीं बता सकी कि अपीलार्थी ने अपनी पिस्तौल से कितनी गोलियां चलाईं थीं यह आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि वह उस समय अपीलार्थियों द्वारा चलाई गई गोलियों का हिसाब रखे जब उसने यह पाया कि उसके पति को गोली मार दी गई है और वह मृत रूप में नीचे गिरा पड़ा है। उसने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि बंदूक से लगी चोटें अपीलार्थी द्वारा कारित की गईं हैं और यह नहीं कहा था कि ऐसी कोई चोट दोषमुक्त अभियुक्त हरिराम द्वारा कारित की गई है। चूंकि यह पाया गया है कि वसूल किए गए खाली कारतूस अपीलार्थी की पिस्तौल से चलाए गए कारतूस थे अतः इससे उसके परिसाक्ष्य की पर्याप्त संपुष्टि होती है। हम सुखराम, अभियोजन साक्षी सं० 4 के परिसाक्ष्य की अति सावधानी से उपेक्षा कर सकते हैं किंतु इससे अभियोजन साक्षी सं० 1 और अभियोजन साक्षी सं० 2 के परिसाक्ष्य की सत्यता का किसी भी प्रकार प्रत्याहरण नहीं होगा।

8. अपीलार्थी के कब्जे से पिस्तौल, वह शस्त्र जिससे अपराध किया गया था, अभियोजन साक्षी सं० 6—थानाध्यक्ष (एस०एच०ओ०) श्री भीम सिंह ने लिया था यह अपीलार्थी की एक अनुज्ञप्ति प्राप्त पिस्तौल है। प्राक्षेपिकी विज्ञानी-अभियोजन साक्षी सं० 11 के साक्ष्य के अनुसार, परीक्षा के लिए जो खाली कारतूस उसे भेजे गये थे वे उसी पिस्तौल से और केवल उसी पिस्तौल से चलाए गए थे न कि वैसे ही किसी अन्य शस्त्र से चलाए गए थे। निस्संदेह, वे सीलबंद पैकेट, जिसमें पिस्तौल और कारतूस थे, यद्यपि वे पैकेट पुलिस के पास थे तथापि उन्हें काफी विलंब से प्राक्षेपिकी विज्ञानी को भेजा गया था और उससे कारतूस बदलने की संभाव्यता के बारे में कुछ संदेह हो सकता है किंतु अभिलेखगत साक्ष्य में कारतूस बदले जाने की किसी भी संभाव्यता को नकारा गया है। वे तीनों सीलबंद पैकेट, जिनमें एक में पिस्तौल थी, दूसरे में खाली कारतूस थे, वे दोनों घटनास्थल से बरामद किए गए थे और

तीसरा पैकेट जिसमें तीन खाली कारतूस थे, अपीलार्थी से पिस्तौल सहित बरामद किया गया था, तीनों पैकेट पुलिस थाने के मालखाने में जमा करा दिए गए थे। उन पैकेटों को हैड कांस्टेबल मणिराम अभियोजन साक्षी 10 ने घटना के ठीक बाद के दिन अर्थात् 23.6.1972 को ग्रहण किया था। उसने उन पैकेटों को गंगानगर स्थित पुलिस लाइन्स को भेज दिया था। अभियोजन पक्ष ने अभियोजन साक्षी सं० 12 की, जो उन तीन पैकेटों को पुलिस थाने से गंगानगर स्थित पुलिस लाइन्स ले गया था, परीक्षा की। उसने स्पष्ट रूप से यह बताया कि यद्यपि वे पैकेट उसके पास थे तथापि उन पैकेटों के साथ किसी प्रकार से छेड़छाड़ नहीं की गई थी। अभियोजन साक्षी सं० 10 श्री मणिराम ने भी यह कथन किया कि उस अवधि के दौरान, जब सीलबंद पैकेट मालखाने में रहे, किसी ने भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की और वे पैकेट उसी स्थिति में अमर सिंह, अभियोजन सं० 12 को सौंपे गए थे। अभियोजन साक्षी सं० 7 श्री राम चन्द्र के अनुसार, उसने वे तीनों पैकेट अमर सिंह से ग्रहण किए थे और उन पैकेटों की अभिरक्षा में लेने के पश्चात् उसने रजिस्टर में प्रविष्टि की और यह कि जब तक पैकेट उसकी अभिरक्षा में रहे किसी ने भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। वे पैकेट प्राक्षेपिकी विज्ञानी को भेजे गए थे और वहां पर उन पैकेटों को जसवंत सिंह, अभियोजन साक्षी सं० 8 और मामराज सिंह ने ग्रहण किया था। अभियोजन साक्षी सं० 8 के रूप में हाजिर होते हुए श्री जसवंत सिंह ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि उसने वे पैकेट ग्रहण करने के ठीक अगले दिन वे पैकेट प्राक्षेपिकी विज्ञानी को दे दिए थे और जब तक पैकेट उसकी अभिरक्षा में रहे किसी ने भी उनके साथ छेड़छाड़ नहीं की। प्राक्षेपिकी विज्ञानी, अभियोजन साक्षी सं० 11 के अनुसार जब उसने वे पैकेट ग्रहण किए थे वे उचित रूप से सीलबंद थे और सीलें अक्षत थीं और उसे जो सील का नमूना भेजा गया था उससे मेल खा रहीं थीं। इन साक्षियों में से किसी की भी किसी तरह प्रतिरक्षा नहीं की गई थी। उनमें से किसी के भी प्रति यह संकेत तक नहीं किया गया था कि सीलबंद पैकेटों से, जब वे उनकी अभिरक्षा में थे, अभिकथित रूप से छेड़छाड़ की गई थी। थानाध्यक्ष श्री भीम सिंह, अभियोजन साक्षी सं० 6 के प्रति भी ऐसा कोई संकेत नहीं किया था कि उसने या तो प्राक्षेपिकी विज्ञानी को भेजे गए कारतूसों को बदल दिया है या अन्यथा उसने सीलबंद पैकेटों से छेड़छाड़ की है। अतः यह दलील देना निरर्थक है कि कारतूस बदले जाने की संभाव्यता को नकारा नहीं जा सकता। ऐसी किसी दलील का कोई आधार नहीं है। अभियोजन साक्षी सं० 9 और अभियोजन साक्षी सं० 1 और अभियोजन साक्षी सं० 2 प्रत्यक्षदर्शी-साक्षियों के परिसाक्ष्य के साथ पठित प्राक्षेपिकी विज्ञानी श्री जी० आर० प्रसाद, अभियोजन साक्षी सं० 11, के साक्ष्य से स्पष्ट रूप से यह साबित होता है कि अपीलार्थी ने अपनी अनुज्ञप्ति प्राप्त पिस्तौल से मृतक पर गोली चलाई थी और यह कि मृतक की मृत्यु उसे पिस्तौल की गोली से पहुंची चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी। हम उच्च न्यायालय के विद्वान् न्यायमूर्ति से सहमत हैं कि साक्ष्य में किसी तरह की ऐसी कोई संदेहजनक बातें नहीं हैं जिनसे अभियोजन पक्ष के इस कथन के प्रति कोई संदेह उत्पन्न होता हो कि मृतक पर गोली अपीलार्थी की पिस्तौल से चलाई गई थी और यह कि उसकी मृत्यु उन चोटों के परिणामस्वरूप हुई थी।

9. इस प्रकार, उन बातों को ध्यान में रखते हुए, जिन पर हमने ऊपर विचार किया है हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन पक्ष ने यह मामला अपीलार्थी के विरुद्ध किसी युक्तियुक्त संदेह के परे सफलतापूर्वक सिद्ध कर दिया है और चूंकि विचारण न्यायालय ने दोषमुक्ति

का आदेश पूर्णतया गलत आधारों पर पारित किया था अतः उच्च न्यायालय ने साक्ष्य का समुचित रूप से मूल्यांकन करने के पश्चात् दोषमुक्ति के आदेश को अपास्त करके और अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन किए गए अपराध और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन किए गए अपराध के लिए सिद्धदोष ठहरा कर ठीक ही किया है। हमारे द्वारा अभिलेखगत साक्ष्य के स्वतंत्र रूप से विश्लेषण किए जाने से यह प्रकट होता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन अपराध के लिए और आयुध अधिनियम की धारा 27 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि का आदेश और क्रमशः आजीवन कारावास और दो वर्ष के कठोर कारावास का दंडादेश सुआधारित है और उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है। लेकिन दोनों ही दंडादेश साथ-साथ चलेंगे। परिणामस्वरूप अपील असफल होती है और खारिज की जाती है। अपीलार्थी जमानत पर हैं। उसके जमानत संबंधी बंधपत्र रद्द हो जाएंगे और उसे शेष अवधि का दंडादेश भोगने के लिए अभिरक्षा में लिया जाएगा।

अपील खारिज की जाती है।

जु०/बा०

[1994] 1 उम० नि० प० 802

डा० काशीनाथ जी० जालमी और अन्य

बनाम

अध्यक्ष और अन्य

रमाकान्त डी० खलप

बनाम

अध्यक्ष गोवा विधान सभा और अन्य

एवं

चर्चिल अलमाओं

बनाम

अध्यक्ष, विधान सभा

31 मार्च, 1993

न्या० जे० एस० वर्मा, पी० बी० सावंत और एन० एम० कासलीवाल

संविधान, 1950—अनुच्छेद 226—यदि रिट याचिका की प्रथम सुनवाई के समय चालू स्थिति को चुनौती दी गई हो, तो ऐसी याचिका मात्र अतिविलंब के आधार पर खारिज नहीं की जा सकती।